



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092025-266162
CG-DL-E-15092025-266162

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4046]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2025/भाद्र 24, 1947

No. 4046]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2025/BHADRA 24, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2025

का.आ. 4161(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68), जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाए, की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1399(अ), दिनांक 27 सितम्बर, 2005 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45बी के कि.मी. 138.000 (मदुरै) से कि.मी. 264.000 (तूतीकोरिन) तक के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1415(ई) दिनांक 16.06.2011 के अधिक्रमण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45बी (नया एनएच-38) के कि.मी. 138+800 से 266+865 तक मदुरै-तूतीकोरिन खंड के 128.065 किलोमीटर लंबाई के चार लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका (1) के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 92.653 कि.मी. (सारणी-2) की निवल सड़क खंड लंबाई तथा 7.20 किलोमीटर (0.720 किलोमीटर लंबाई वाली(सारणी-4)) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर और 10 करोड़ रु या उससे अधिक की लागत वाले 34.692 कि.मी. (सारणी-3) लंबाई वाले बाईपास के लिए आधार दर के डेढ़ गुना पर शुल्क उद्गृहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थातः-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरा वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात:-

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
तमिलनाडु राज्य में मदुरै जिले के एलियारपथी गांव के पास एनएच-38 के कि.मी. 143.580 पर	42.471 [बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ से अधिक) और (>60 मीटर) संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
तमिलनाडु राज्य में तूतीकोरिन जिले के पुथुरपांडियापुरम गाँव के पास एनएच-38 के कि.मी. 254.940 पर	50.182 [बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ से अधिक) और (>60 मीटर) संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर संरचना की लंबाई को छोड़कर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए (डिजाइन चेनेज कि.मी.)	पर मिलते हुए (डिजाइन चेनेज कि.मी.)	बाईपास की लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर) और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
तमिलनाडु राज्य में मदुरै जिले के एलियारपथी गांव के पास एनएच-38 के कि.मी. 143.580 पर	करीपट्टी बाईपास	153+800	158+310	4.44	46.765	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	कल्लुरिची बाईपास	163+000	165+700	2.700	18.787	
	अरुप्पुकोट्टई पुराना बाईपास	170+984	179+475	8.43	102.38	

	पंडालगुडी बाईपास	187+900	193+700	5.800	45.575
तमिलनाडु राज्य में तूतीकोरिन जिले के पुधुरपांडियापुरम गाँव के पास एनएच-38 के कि.मी. 254.940 पर	एट्टायपुरम बाईपास	219+870	221+870	2.00	12.34
	तूतीकोरिन बाईपास	255+480	266+865	11.322	135.885
कुल लंबाई				34.692	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (प्लाज़ाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

सारणी-4			
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	समतुल्य सड़क की लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं की लंबाई* (कि.मी. में)	समतुल्य सड़क लंबाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
तमिलनाडु राज्य में मदुरै जिले के एलियारपथी गाँव के पास एनएच-38 के कि.मी. 143.580 पर	0.224 [^]	2.24	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
तमिलनाडु राज्य में तूतीकोरिन जिले के पुधुरपांडियापुरम गाँव के पास एनएच-38 के कि.मी. 254.940 पर	0.496 ^{^^}	4.96	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कुल	0.720	7.20	

*व्योरा इस प्रकार है:

[^]एलियारपथी पथकर प्लाज़ा

क्र.सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
	से (कि.मी.)	तक (कि.मी.)		
1	153.965	154.035	बड़ा पुल	0.070
2	161.870	161.963	बड़ा पुल	0.093
3	174.616	174.677	आरओबी	0.061
कुल				0.224

^{^^}पुधुरपांडियापुरम पथकर प्लाज़ा

क्र.सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
	से (कि.मी.)	तक (कि.मी.)		
1	208.866	209.202	बड़ा पुल	0.336
2	234.982	235.085	बड़ा पुल	0.097
3	266.488	266.551	फ्लाईओवर	0.063
कुल				0.496

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाज़ा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 350/-रुपए (तीन सौ चालीस रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यत की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1877.95 करोड़ रुपए है। [भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन-सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है]। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. परियोजना-26016(22)/20/2024-पीआईयू तूतिकोरिन/ई-254742]

विनय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2025

S.O. 4161(E).—Whereas, vide notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O.1399(E), dated the 27th September, 2005, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government had entrusted the stretches from Km. 138+000 (Madurai) to Km. 264+000 (Tuticorin) of National Highway No.45B in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules") and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1415(E) dated 16.06.2011 the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 92.653 Km. (Table-2) and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 7.20 Kilometer (having length of 0.720 km. (Table-4) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 34.692 Km. (Table-3) costing

rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four lane of Madurai – Tuticorin Section from Km. 138+800 to 266+865 of the National Highway Number 45B (New NH-38) for a length of 128.065 Km. in the State of Tamil Nadu and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:

Table 1	
Category of Vehicle	Base rate of fee per Km. for the base year 2007-08 (In Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicles (LCV), Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three - axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Four to Six Axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or More Axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:-

Table-2		
Location of Fee Plaza(chainage)	Length(in km.) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 143.580 of NH-38 near Eliyarpady Village of Madurai District in the state of Tamil Nadu.	42.471 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At design Km. 254.940 of NH-38 near Pudurpandiyapuram Village of Tuticorin District in the state of Tamil Nadu	50.182 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs.10 crore or more excluding the length of structure at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):-

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass with Chainage	Taking Off at Km.	Merging at Km.	Length (excluding structure > 60m) and Cost of bypass for which additional Fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km. 143.580 of NH-38 near Eliyarpady Village of Madurai District in the state of Tamil Nadu	Karipatti Bypass	153+800	158+310	4.44	46.765	150% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Kallkurichy Bypass	163+000	165+700	2.700	18.787	
	Aruppukottai Old Bypass	170+984	179+475	8.43	102.38	
	Pandalgudi Bypass	187+900	193+700	5.800	45.575	
At design Km. 254.940 of NH-38 near Pudurpandiyapuram	Ettayapuram Bypass	219+870	221+870	2.00	12.34	

Village of Tuticorin District in the state of Tamil Nadu	Tuticorin Bypass	255+480	266+865	11.322	135.885	
Total Length				34.692		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:-

Table-4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures* (in km.) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km.)	Rate at which fee is payable
At Km. 143.580 of NH-38 near Eliyarpuram Village of Madurai District in the state of Tamil Nadu	0.224 [^]	2.24	100 % for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At design Km. 254.940 of NH-38 near Puthurpandiyapuram Village of Tuticorin District in the state of Tamil Nadu	0.496 ^{^^}	4.96	100 % for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
Total	0.720	7.20	

*The details are as under:

[^]Eliyarpuram fee Plaza:

SN	Chainage		Type of structure	Length (in Km.)
	From Km.	To Km.		
1	153.965	154.035	Major Bridge	0.070
2	161.870	161.963	Major Bridge	0.093
3	174.616	174.677	ROB	0.061
Total				0.224

^{^^}Puthurpandiyapuram fee Plaza:

SN	Chainage		Type of structure	Length (in Km.)
	From Km.	TO Km.		
1	208.866	209.202	Major Bridge	0.336
2	234.982	235.085	Major Bridge	0.097
3	266.488	266.551	Flyover	0.063
Total				0.496

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.350/- (Rupees Three Hundred Fifty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the Fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicles (excluding vehicles plying under a National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in-charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including the category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for the information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rs.1877.95 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. PROJ-26016(22)/20/2024-PIU Tuticorin/E-254742]

VINAY KUMAR, Addl. Secy.